

**मांग संख्या 81**

**मुख्यशीर्ष 3604**

**मद क्रमांक 1 से 3**

प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु ₹ 50000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्यशीर्ष 4215**

**मद क्रमांक 4**

नगरीय निकायों की जल आवर्धन योजना हेतु ₹ 5000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्यशीर्ष 4217**

**मद क्रमांक 5**

कोसानाला के विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु ₹ 300.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।